न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी, मुकाम निम्बाहेडा राज0

पीठासिन अधिकारी – चन्द्र शेखर भण्डारी
आर0ए0एस0,

प्रकरण सं0 3609/2016 प्रार्थना पत्र

श्री जगदीश चन्द्र पिता पोखर जी जाति ब्राह्मण उम्र 75 वर्ष निवासी कनेरा तह0निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– प्रार्थी

//बनाम//

श्री राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेडा

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

//आदेश// दिनांक 31.01.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोजा पटियार प0ह0 कनेरा तह0निम्बाहेडा में प्रार्थी की शामलाती खातेदारी की आराजी नं0 73/1 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा, आ0नं0 74/1 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 74 मीन रकबा 16 बिस्वा, आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जो पुश्तैनी समय से चली आ रही है। यह आराजीयात पोखर जी के समय से चली आ रही है, उक्त आराजीयात पास पास लगी हुई है जो संवत 1984 उदयपुर मेवाड स्टेट के समय से चली आ रही है उक्त साबिक आ0नं0 74,72,72 तीनो ही आराजीयात पास पास लगी हुई है। नक्शा सेटलमेन्ट साथ पेश हैं। उक्त आ0नं0 74 जो कि पुराने समय से चली आ रही है तथा आ0नं0 74 के दो टुकडे हुए जिसमें से 74/1 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 74 मीन रकबा 16 बिस्वा हुए। उक्त दोनो आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

पोखर जी का कब्जा चला आ रहा था। इसी प्रकार आ0नं0 82 के भी टुकडे हुए जिसमें आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा भी पोखर जी के समय से चले आ रहे है तथा दोनो ही आराजीयात पोखर जी के समय से चली आ रही है, दोनो आराजीयात पोखर जी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिस क्रमशः गेन्दमल, जगदीश, बंशीलाल, लक्ष्मीनारायण उनके पुत्रो एवं घीसीबाई उनकी पुत्री एवं पोखर जी की पत्नी जानीबाई के खातेदारी में दर्ज की गई। मुख्य विवाद आराजी नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा का है जिसके नये आ0नं0 228 रकबा 0.1100 हेक्टैयर हैं। पोखर जी के स्वर्गवास के बाद आ0नं0 74 रकबा 16 बिस्वा व आ0नं0 74/1 रकबा 10 बिस्वा व आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा तीनो ही आराजीयात उनके अन्य वारिसान के मौखिक बंटवारे की सहमति से प्रार्थी के कब्जे में रखे गये जो पोखर जी के जीवनकाल में आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व रखी गई थी। तब से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं और प्रार्थी ही आ0नं0 74 रकबा 16 बिस्वा व आ0नं0 74/1 रकबा 10 बिस्वा व आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा पर कब्जा आज भी प्रार्थी का निरन्तर चला आ रहा है। आ0नं0 82 रकबा 10 बिस्वा पर कब्जा प्रार्थी का 25 साल से चला आ रहा है, पोखर जी का स्वर्गवास करीब 18–19 साल पहले हो चुका है इसलिये आ0नं0 74 व 82/1 उनके अन्य वारिसान के नाम भी दर्ज है किन्तु कभी भी कब्जा मौखिक बंटवाडे के बाद उक्त आराजी पर पोखर जी के अन्य वारिसान का नहीं रहा है। आ0नं0 74 जो कुल रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा है , उसके पडोस पूर्व– जगदीश जोशी ब्राह्मण व मनोहर जी भंगुरा भील, पश्चिम– जंगल में जाने का आम रास्ता, व उससे आगे प्रार्थी की कब्जशुदा आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा व उसके पश्चिम में आम सडक रास्ता मनोहर खेडी जाने वाली, उत्तर– सीताबाई पत्नी बंशीलाल ब्राह्मण की आराजी, दक्षिण में पडत सरकारी भूमि जिस पर कब्जा घीसीबाई ब्राह्मण का है। आ0नं0 82 जो प्रार्थी के कब्जेशुदा 10 बिस्वा है उसकेपडोस पूर्व– जंगल में जाने का रास्ता, व रास्ते से आगे आ0नं0 74 रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा, प्रार्थी के कब्जेशुदा एवं पश्चिम– मनोहरखेडी

रास्ता, उत्तर– आ0नं0 82 की पडत भूमि व दक्षिण– आ0नं0 82 की पडत भूमि व उसके बाद मोजा कनेरा गांव की आराजी भूमि आशा नगरी के मध्य की है। मौके पर दिनांक 4.8.16 को प्रार्थी की आराजीयात के सीमा के पडोसीयो द्वारा विवाद उत्पन्न किया तब नकले ली जिस पर पता चला कि जो पुराने आ0नं0 74 व 74/1 क्रमशः रकबा 16 बिस्वा व 16 बिस्वा है, उसके पश्चिम दिशा में आ0नं0 82 है तथा आ0नं0 74/1 है जिसके नये आ0नं0 213 रकबा 0.2800 हेक्टैयर है जिसके पश्चिम दिशा में जो रास्ता जंगल में जाने का है जो उत्तर से दक्षिण दिशा है उस रास्ते से आ0नं0 82 लगी हुई है उसमें से 10 बिस्वा आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है जिसके पुराने आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा है जिसके नये आ0नं0 228 है किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा आ0नं0 213 रकबा 0.2800 हेक्टेयर के दक्षिण दिशा में दर्शा दिया गया जो कब्जे अनुसार सही नहीं है इसलिये उक्त त्रुटी की जानकारी होते ही यह आवेदन पेश किया। इसलिये आ0नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा जिसके नये आ0नं0 228 रकबा 0.1100 हेक्टेयर है उसे मौके पर काबिज अनुसार नक्शे में सही जगह तरमीम की जाना आवश्यक हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया और मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू आदेशित किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का कनेरा को मौका पर्चा बना कर प्रस्तुत करने हेतू दिनांक 20.07.2021 को आदेशित किया, जिसकी पालना में पटवारी हल्का कनेरा द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की उसमें पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर जांच पडताल की तो प्रार्थी का कब्जा आ0 नं0 82 जिसके नये आ0नं0 228 रकबा 0.1100 हेक्टेयर पर होना पाया और उसी स्थान पर नक्शे में तरमीम किये जाने के संबंध में पर्चा मौका रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् तहसीलदार सा0 निम्बाहेडा को मूल ही रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर लब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ष्ट है कि साबिक रेकार्ड में प्रार्थी की आराजीयात की तरमीम नहीं थी जबकि वर्तमान में कब्जे अनुसार नहीं होकर अन्यत्र तरमीम हो जाना तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट से प्रकट होता है। इस प्रकार आराजी नं. 228 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा पटियार की आराजी नं. 228 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि की प्रार्थी के कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे तथा जहां प्रार्थी की आराजीयात दर्शा रखी है वहां प्रभावित होने वाली आराजीयात का अंकन किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.01.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज किया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)